जाता है।

8-2-2021 वकील उभयपक्ष उप० । वास्ते बहस पत्रावली दि० 15-2-2021 को पेश हो । T. I. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है।

15-2-2021 वकील उभयपक्ष उप० । T. I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 1-3-2021 को पेश हो।

1-3-2021 वकील उभयपक्ष उप० । समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 15-3-2021 को पेश हो।

15-3-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रैस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-3-2021 को पेश हो।

रीडर

22-3-2021 वकील उभयपक्ष उप० । वकील उभयपक्ष को पुनः सुना गया। T. I. प्रा०पत्र निर्णीत किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख०नं० $\frac{74}{0.23}$, $\frac{75}{0.19}$, $\frac{76}{0.25}$, ग्राम हिंगोट्या में प्रार्थिया के पिता के हिस्सा $\frac{1}{2}$ में से हिस्सा $\frac{1}{2}$ अर्थात वादग्रस्त भूमि में हिस्सा $\frac{1}{4}$ के लिए मूल वाद के निर्णय तक मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति [illegible] अप्रार्थीगण को अस्थाई [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय [illegible] पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल [illegible] होकर [illegible] से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:03 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

02/2021 05.01.2021

कुमारी यशिका उर्फ परी पुत्री डा0 देवेन्द्र शरण उम्र 8 साल नाबालिग जरिये संरक्षक मॉ श्रीमती ज्योती धाकड़ पत्नि डा0 देवेन्द्र शरण जाति धाकड निवासी 3/23 नाई की मण्डी धाकरान एम0जी0रोड थाना नाई की मण्डी आगरा (यू0पी0) —प्रार्थिया

बनाम

1. डा0 देवेन्द्रशरण धाकड पुत्र गिर्राज शरण जाति धाकड़ निवासी खण्डेलवाल धर्मशाला के पास जयपुर रोड़ वार्ड नं0 3 गंगापुर सिटी हाल निवासी 114/11 सेक्टर 11 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

2. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र गिर्राज शरण जाति धाकड निवासी खण्डेलवाल धर्मशाला के पास गंगापुर सिटी

3. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से

श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एड., अप्रार्थी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की दादी सम्पति देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद जाति धाकड निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी भूमि हाल ख0नं. 74 रकबा 0.23 हेक्टर, 75 रकबा 0.19 हेक्टर, 76 रकबा 0.25 हेक्टर ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। प्रार्थिया की दादी श्रीमति सम्पति देवी का इन्तकाल हो चुका है। प्रार्थिया की दादी के मरने के बाद विरासत का नामान्तकरण सं0 725 दिनांक 20.10.2012 को देवेन्द्रशरण व पुष्पेन्द्रसिंह पिसरान गिर्राज शरण, अर्चना, अन्जना पुत्रिया गिर्राज शरण जाति धाकड़ के नाम तस्दीक कर दिया गया तथा हक त्याग से अर्चना व अन्जना ने अपने हिस्से को पुष्पेन्द्रसिंह व देवेन्द्रशरण के हक में हक त्याग कर दिया। भूमि ख0नं0 74, 75, 76 प्रार्थिया की पैत्रिक भूमि हैं। जिसमें देवेन्द्रशरण के नाम जो भूमि दर्ज हुयी है उसमें देवेन्द्रशरण के नाम दर्ज हिस्से में प्रार्थिया का जन्म से ही 1/2 हिस्सा हैं। तथा प्रार्थिया जन्म से ही देवेन्द्र शरण के नाम दर्ज हिस्से में 1/2 की कोशेयरर हैं। अप्रार्थी देवेन्द्रशरण ने [illegible] उसकी मॉ को परित्याग कर रखा हैं। प्रार्थिया की देखरेख व [illegible] की मॉ ही कर रही हैं। प्रार्थिया की मॉ व प्रार्थिया दि0 18.11.2020 को [illegible] कोर्ट में आये तो आये तो अप्रार्थी सं0 1 ने धमकी दी की उसने भूमि अपने भाई के नाम करवा दी है, अब वह कु0 यशिका को भी भूमि में कोई हिस्सा नहीं देगा। अप्रार्थी देवेन्द्रशरण की नियत खराब हो गयी हैं वह बिना किसी पारिवारिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:03 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से को हडपने के उद्देश्य से पैत्रिक भूमि में प्रार्थिया के हिस्से को अप्रार्थी सं0 2 के हक में दिनांक 23.1.2020 को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग से उसके हक में हक त्याग कर दिया हैं तथा अप्रार्थी सं0 2 ने हक त्याग के आधार पर समस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया है। तथा अप्रार्थी सं0 2 अपने हक में करवाये गये हक त्याग के आधार पर पैत्रिक भूमि में प्रार्थिया के हिस्से को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं। पैत्रिक भूमि में प्रार्थिया के हिस्से को अप्रार्थी सं01 को खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नही था। अप्रार्थी सं0 1 ने पैत्रिक भूमि में प्रार्थिया के हिस्से को जरिये हक त्याग अप्रार्थी सं0 2 के हक में हक त्याग किया हैं। उक्त हक त्याग को प्रार्थिया अपने हिस्से तक प्रभाव शून्य घोषित करवाने की अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह भूमि हाल ख0नं0 74, 75, 76 स्थित ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी में प्रार्थिया के हिस्से को दीगर जगह रहन वय नही करें तथा प्रार्थिया को उसके हिस्से से बेदखल नही करें। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदारजी को रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुआ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि भूमि खसरा नम्बर 74, 75, 76 स्थित ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी प्रार्थिया की पैतृक भूमि नहीं है ना ही प्रार्थिया का उक्त भूमि में जन्म से ही 1/2 हिस्सा है। तथा प्रार्थिया का यह लिखना भी सरासर गलत है कि प्रार्थिया जन्म से ही देवेन्द्र शरण के नाम दर्ज हिस्से में 1/2 हिस्से की कोशियेरर हो। अप्रार्थी देवेन्द्रशरण ने प्रार्थिया व उसकी मॉ का परित्याग नहीं कर रखा है, अपितु प्रार्थिया की मॉ ने ही अप्रार्थी संख्या 1 देवेन्द्रशरण का बिना किसी न्यायोचित कारण के परित्याग कर रखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी नाबालिग पुत्री के स्नेह व दुलार से भी वंचित कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने धारा 9 के तहत दाम्पत्य संबंधो की पुनर्स्थापना का एक प्रकरण अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश रायसिंह नगर में दिनांक 19.02.2020 को ही प्रस्तुत कर दिया था, जो विचाराधीन है तथा प्रार्थिका उर्फ परी को अपनी संरक्षकता में लेने के लिए नियमानुसार अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा कार्यवाही की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि क्लेक्टर
(राजस्व)

करने के उद्देश्य से यह दावा प्रस्तुत करवाया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 10.11.2020 को प्रार्थिया एवं उसकी मॉ को कोई धमकी नहीं दी है। सारे तथ्य झूठा दावा करने के उद्देश्य से दी गयी गलत सलाह के आधार पर अंकित किये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अधिकारपूर्ण तरीके से जरिए रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 21.01.2020 को अपने हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 के हक में हकत्याग किया है। जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब होने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। जब वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 74, 75, 76 पैत्रिक भूमि ही नहीं है तो प्रार्थिया द्वारा अंकित की गयी समस्त बातें स्वतः ही गलत हो जाती हैं। अप्रार्थी संख्या 1 जीवित है तथा उसके जीवित रहते प्रार्थिया को अप्रार्थी संख्या 1 की जायदाद में किसी प्रकार कोई अधिकार हासिल नहीं होता हैं। प्रार्थिया को रजिस्टर्ड हकत्याग को प्रभावशून्य घोषित करवाने का भी कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से का हकत्याग मौजूदा दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 23.01.2020 को विधि सम्मत तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 के हक में किया जा चुका है। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रार्थिया कुमारी यशिका अप्रार्थी संख्या 1 की नाबालिग पुत्री है, जो अपनी माता श्रीमति ज्योति के बहकावे में है तथा श्रीमति ज्योति द्वारा ही दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत दावा आधारहीन तथ्यों का प्रार्थिया से प्रस्तुत करवाया गया है। प्रार्थिया मौजूदा दावा प्रस्तुत करने के समय आगरा में निवास कर रही है, प्रार्थिया का कोई वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अप्रार्थी संख्या 1 की माता सम्पत्ति देवी पत्नी गिर्राज शरण ज़ाति धाकड निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 74 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.25 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या [illegible] सिटी में स्थित रही है। अप्राथी संख्या 1 की माता श्री[illegible] हो जाने के पश्चात् उसके विधिक उत्तराधिकारी [illegible] व पति नियमानुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम [illegible] श्रेणी के वारिस होते हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 की माता श्रीमति सम्पत्ति देवी की मृत्यु के उपरान्त उसकी विरासत का नामान्तरकरण उसके पति, पुत्रों व पुत्रियों के हक में खोला जाना चाहिए था। लेकिन श्रीमति सम्पत्ति की विरासत का जो नामान्तरकरण दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:03 IST
Reason: SelfAttested

सुमन्द्रसिंह, तथा पुत्रियां श्रीमति अर्चना, व अंजना के नाम खोला गया, जबकि मृतक श्रीमति सम्पत्ति के पति श्री गिर्राज शरण के हक में नामान्तरकरण नहीं खोला गया, जो कि वर्तमान में जीवित हैं। इस तरह नामान्तरकरण संख्या 725 दिनांकित 20.10.2012 के अनुसार मृतक श्रीमति सम्पत्ति के चारों वारिसान के हक में 1/4 – 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण खोला गया है। जबकि कानूनन मृतक श्रीमति सम्पत्ति के पति गिर्राजशरण के हक में भी नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था, इस तरह सभी वारिसान का हिस्सा 1/5 – 1/5 दर्ज किया जाना चाहिए था। मृतक श्रीमति सम्पत्ति की पुत्रियों श्रीमति अर्चना व अंजना ने दिनांक 17.01.2013 को जरिए रजिस्टर्ड हकत्याग अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक मे कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिए रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 23.1.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 हक मे अपने हिस्से का हक त्याग कर दिया। इस प्रकार वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 2 तन्हा खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 74, 75, 76 स्थित ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी अप्रार्थी संख्या 1 की माता श्रीमति सम्पत्ति देवी की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी का वारिस होने के कारण विरासत में प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अधिकारस्वरूप ही अपने हिस्से का हकत्याग अप्रार्थी संख्या 2 के हक में किया है। कानूनन हिन्दू नारी से जो सम्पत्ति विरासत में उसके पुत्र व पुत्रियों को प्राप्त होती है, वह उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति कहलाती है। उक्त अनुसार श्रीमति सम्पत्ति देवी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति है। कानूनन पैत्रिक सम्पत्ति वह होती है, जो पुरूष वंशज के चार पीढी उपर वंशजों से प्राप्त होती है। इस तरह केवल पुरूष वंशज से प्राप्त सम्पत्ति ही पैत्रिक सम्पत्ति कहलाती है। इस तरह वाद पत्र में लिखे तथ्यों से ही यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैत्रिक आराजी नहीं है। पैत्रिक आराजी ना होने के कारण प्रार्थिया का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हित अधिकार हासिल नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मौजूदा दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपने हिस्से की आराजीयात का रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 23.01.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 के हक में निष्पादित कर दिया जा चुका है। रजिस्टर्ड हकत्याग को निरस्त कराए बिना प्रार्थिया का मौजूदा दावा चलने योग्य ही नहीं है। रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र को शून्य व निरस्त घोषित करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस आधार पर भी प्रार्थिया का दावा खारिज किए जाने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:03 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 113 ग्राम हिगोटिया, नकल जमाबंदी संवत 2067–70 खाता संख्या 316 ग्राम हिगोटिया, नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 113, फोटोकॉपी जन्म प्रमाण पत्र प्रार्थिया यशिका धाकड, फोटोकॉपी नकल हकत्यागपत्र दिनांक 23.1.2020 प्रस्तुत किये है।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थीगण की ओर से फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2071–74, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2067–70 खाता संख्या 316, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2055–2058 खाता संख्या 2, फोटोकॉपी नकल हकत्याग पत्र दिनांक 23.1.2020, फोटोकॉपी नकल हकत्याग पत्र दिनांक 31.12.2012, फोटोकॉपी नकल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सी. आर.पी.सी. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा, फोटोकॉपी नकल याचिका अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश रायसिंहनगर प्रस्तुत किये है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गईं

प्रार्थिया के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया की दादी सम्पत्ति देवी की खातेदारी की भूमि रही है। सम्पत्ति देवी की मृत्यु के बाद उसकी विरासत उसके दो पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं दो पुत्रिया अर्चना व अन्जना के नाम दर्ज हुई। दोनो पुत्रियों ने अपने हिससे की भूमि का हक त्याग अपने दोनो भाईयो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक मे कर दिया। इसके पश्चात यह भूमि दोनो भाईयो के नाम दर्ज हो गयी। प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री है। जिसका जन्म प्रार्थिया की दादी सम्पत्ति देवी के मरने से पूर्व ही हो गया था एवं जन्म के साथ ही वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थिया का कोशेयरर के रूप मे अपने पिता की भूमि मे हिस्सा उत्पन्न हो जाता है। [illegible] पैतृक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 9.9.2005 को [illegible] पुत्री का उसके पिता की भूमि मे/पैतृक भूमि मे [illegible] हो जाता है। कुमारी यशिका का जन्म 2005 के पश्चात दिनांक [illegible]0.1.12 को हुआ है। इस कारण वह अपने पिता की भूमि मे 1/2 हिस्से की कोशेयरर हो जाती है। प्रस्तुत मामले मे कुमारी यशिका का जन्म सम्पत्ति के मरने से पहले हो जाने के कारण उसकी भूमि विरासत मे उसके वारिसो के नाम आयी। जिसमे अर्चना व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 16:09:03 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
... (उ०प्र०)

अन्जना ने अपने दोनो भाईयो के हक मे जो हक त्याग किया है, वह राजस्व मंडल के निर्णय जो आर.आर.टी. 2014(1) पेज 509 उनवानी कमला देवी बनाम चम्पालाल के अनुसार एक सहखातेदार के हक मे हुआ हकत्याग सभी सहखातेदारो के हक मे पढा जावेगा। इसलिए इस निर्णय के अनुसार डॉ. देवेन्द्रधाकड अप्रार्थी संख्या 1 के हक मे हुए हकत्याग मे प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा माना जावेगा। वकील प्रार्थिया ने न्याय दृष्टान्त 2008 आर.बी.जे.447 मे राजस्व मंडल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए कहा है कि हक त्याग के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक मे जो हक त्याग किया गया है उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थिया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की 1/2 भूमि मे प्रार्थिया के हिस्से तक की भूमि के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की 1/2 भूमि मे से प्रार्थिया के 1/2 हिस्से की भूमि के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थिया नाबालिग है एवं उसकी मॉ ज्योति द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रार्थिया की ओर से यह दावा व टी.आई. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया है क्योकि प्रस्तुत मुकदमो से पूर्व ही ज्योति व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य मुकदमे चल रहे है। वकील अप्रार्थीगण ने न्याय दृष्टान्त आर.बी.जे. 2018 पेज 503, आर.बी.जे 2018 पेज 499, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1301 का हवाला देते हुए कहा कि दावा दायरी के दिन वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 2 एक मात्र खातेदार रहा है एवं खातेदार के विरूद्ध कानूनन निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी पैतृक नही है क्योकि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अर्चना व अन्जना को अपनी माता से प्राप्त हुई है। अपनी माता के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई है जो उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। पुरूष वंशज के माध्यम से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति ही पैतृक सम्पत्ति कहलाती है। माता भाई चाचा आदि से प्राप्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति न कहलाकर स्वअर्जित सम्पत्ति कहलाती है इस सम्बन्ध मे वकील अप्रार्थीगण ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शीला देवी बनाम लालचंद प्रकरण मे दिनांक 29.9.2006 को, प्रकरण श्यामनारायण प्रसाद बनाम कृष्णा प्रसाद मे दिनांक 2.7.2018, प्रकरण भागमल बनाम टी.बी.राजू मे दिनांक 19.4.2018 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:03 IST
Reason: SelfAttested

से प्राप्त सम्पत्ति का वितरण धारा 9,10,11, 12 के अनुसार किया जाता है जबकि मृत हिन्दू नारी के सम्पत्ति के वितरण के नियम अलग है। धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्त्री अपनी सम्पत्ति की पूर्णस्वामिनी होती है तथा मृत हिन्दू नारी की सम्पत्ति के प्रथम श्रेणी के वारिसों को प्राप्त होने वाली सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पत्ति कहलाती है। अपनी बहस वकील अप्रार्थीगण ने आगे कहा कि प्रस्तुत मामले मे प्रार्थिया रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करवाना चाहती है, रजिस्टर्ड दस्तोवज को निरस्त या नल एंड बोईड करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस सम्बन्ध मे वकील अप्रार्थीगण ने न्याय दृष्टान्त 2018 (1) सी.जे. (सिविल) राजस्थान पेज 389 का हवाला दिया है। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया का टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन है ।

रिबटल मे प्रार्थिया के विद्धान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण के वकील का यह एतराज है कि सम्पत्ति फीमेल लाईन से प्राप्त हुई है। जिसे पैतृक नही मानकर स्वअर्जित माना जावेगा। वर्ष 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 मे हुए संशोधन के अनुसार पिता यदि 2005 से पूर्व मर जाता है तो सम्पत्ति मे पुत्री को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। यह मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को रैफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने पुनः यह मत प्रतिपादित किया है कि कोपार्शन प्रॉपर्टी यदि सिंगल परसन के हक मे आती है और बाद मे संतान पैदा हो जाती है तो वह पैतृक कोपार्शनरी प्रॉपर्टी मानी जावेगी। प्रस्तुत प्रकरण में सम्पत्ति देवी से भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को तथा इनकी बहिनो को आयी है। बहिनो ने हक त्याग अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक मे कर दिया है। इसलिए विवादित सम्पत्ति प्रार्थिया की मौजूदगी में कोपार्शन पैतृक प्रॉपर्टी मानी जावेगी। अपने इस कथन के समर्थन मे वकील प्रार्थिया ने न्याय दृष्टान्त सी.सी.सी. 2020(3) पेज 1 प्रस्तुत किया है। वकील प्रार्थिया ने टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:03 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, न्याय दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया। मैं इस बात से सहमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे सम्पत्ति देवी की खातेदारी की भूमि रही है। जो विरासत मे अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 तथा अर्चना, अन्जना के नाम आयी। हक त्यागपत्र दिनांक 31.12.2012 द्वारा अर्चना व अन्जना ने अपना हक त्याग

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे कर दिया। इसके बाद यह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम चलती रही। प्रार्थिया यशिका का जन्म दिनांक 20.1.2012 को हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार प्रार्थिया का जन्म से ही पिता की सम्पत्ति मे अधिकार उत्पन्न हो गया है अर्थात प्रार्थिया उसके पिता अप्रार्थी संख्या 1 के 1/2 की भूमि मे 1/2 हिस्से की कोपार्शनर हो गयी है। प्रार्थिया के पिता ने उनके नाम दर्ज 1/2 हिस्से को दिनांक 23.1.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हक त्याग किया है। चूकि प्रार्थिया जन्म से ही उसके पिता के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि मे 1/2 हिस्से की कोपार्शनर हो गयी है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे किया गया हक त्याग विधि सम्मत नही माना जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रार्थिया का वादग्रस्त भूमि मे अपने पिता के 1/2 हिस्से मे 1/2 हिस्से अर्थात वादग्रस्त भूमि मे 1/4 हिस्से की कोपार्शनर है। ऐसी स्थिति में हमारी राय मे प्रार्थिया वादग्रस्त भूमि मे उसके हिस्से तक की भूमि के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रथम दृष्टया अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णित किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख0न0 74, रकबा 0.23 है0, ख0न0 75 रकबा 0.19 है0, ख0न0 76 रकबा 0.25 है0 ग्राम हिगोटिया में प्रार्थिया के पिता के हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/2 अर्थात् वादग्रस्त भूमि मे हिस्सा 1/4 के लिए मूल वाद के निर्णय तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक १२-३-[illegible] को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:09:03 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)